

झारखण्ड सरकार
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 15/6/16

संख्या-1/विविध-826/2016 का- 5013 / प्रमण्डलीय आयुक्त, संचाल परगना प्रमण्डल, दुमका-सदस्य-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बाबा बैद्यनाथ-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार श्री बालेश्वर सिंह, भा.प्र.से. (झा:2000) को बाबा बैद्यनाथ-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम-2015 की कंडिका-13 के प्रावधान के आलोक में श्रावणी मेला की समाप्ति तक श्रावणी मेला सहित तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-1/विविध-826/2016 का- 5013

राँची, दिनांक 15/6/16

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पक्ष, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी/ कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।